सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्या:— 71 / प्रा0पत्र / 2025 — दायरा दिनांक :—27.03.2025

GCMS ID-2025 / 98

बउनवान

1. सुरती बाई आयु 62 वर्ष पत्नी श्री हजारीलाल पुत्री प्रभू जाति जागा निवासी सथूर हाल निवासी सथूर तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज०

प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला बून्दी राज०

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र :— राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत वास्ते इंद्राज दुरस्ती।

वकील प्रार्थी :— श्री गोविन्द झंवर।
वकील अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार।

निर्णय — दिनांक :— 27 / 02 / 2026

उपरोक्त विषय में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि कृषि भूमि खाता संख्या नया 45 पुराना 50, ख.स. 47 रकबा 0.8256 हक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.8256 हैक्टेयर वाके ग्राम हरिपुरा पटवार हल्का तालाबगावं तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज० में स्थित है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या में वर्णित जमाबन्दी में प्रार्थीया का नाम सरस्वती पुत्री प्रभू दर्ज किया हुआ है उक्त इन्द्राज गलत एवं अशुद्ध है जबकि प्रार्थीया का नाम सुरती बाई है। प्रार्थना पंत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि मे प्रार्थीया का नाम सरस्वती पुत्री प्रभू के नाम नामान्तरण खोला गया है जिसमे प्रार्थीया का नाम सरस्वती पुत्री प्रभू दर्ज कर दिया है उक्त इन्द्राज गलत व अशुद्ध है जबकि प्रार्थीया का नाम सुरती बाई है। प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकोर्ड में गलत दर्ज कर दिये जाने से प्रार्थीया उक्त भूमि पर बैंक से ऋण वगेरा व सहकारी एवं सरकारी योजनाओ, का लाभ नहीं उठा पा रही है। प्रार्थीया ने पटवारी हल्का से राजस्व रिकोर्ड में दर्ज गलत इन्द्राज सरस्वती पुत्री प्रभू के अंकन को विलोपित कर सुरती बाई दर्ज करने का अनुरोध किया तो पटवारी हल्का ने तहसीलदार साहब के

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु कहां और प्रार्थीया ने तहसीलदार साहब हिण्डोली को भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया लेकिन प्रार्थीया का नाम दुरूस्त नही किया गया है और अन्तिम बार राजस्व केम्प तहसील कार्यालय मे लगा तो उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त करने से मना कर दिया इस कारण प्रार्थीया श्रीमान के समक्ष इन्द्राज दुरूस्ती बावत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करती है। उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत का कारण दिनांक 17.02.2025 को उत्पन्न हुआ है। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि ग्राम हरिपुरा पटवार हल्का तालाबगावं तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विस्थत होने एवं लेण्ड रिकोर्ड ऑफीसर की हैसियत से श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार प्राप्त हैं। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जमाबन्दी भूमि खाता संख्या नया 45 पुराना 50, ख.स. 47 रकबा 0.8256 हक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.8256 हैक्टेयर वाके ग्राम हरिपुरा पटवार हल्का तालाबगावं तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज० में दर्ज मुस्मात सरस्वती के अंकन को दुरस्त कर उक्त के स्थान पर प्रार्थीया का नाम सुरती बाई दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

प्रकरण में अप्रार्थी की ओर से तहसीलदार हिण्डोली के पत्रांक :– राजस्व/25/2025 दिनांक :–30.06.2025 से प्राप्त जॉच रिपोर्ट अनुसार ग्राम हरिपुरा के खाता संख्या 45 प्रार्थीया सहखातेदार के रूप में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। मजमा–ए–आम में प्राप्त जानकारी व ग्रामवासियों अनुसार उक्त खाता नम्बर में दर्ज सरस्वती पुत्री प्रभू व सुरती बाई पुत्री प्रभू एक ही महिला का नाम होने से रिकॉर्ड में दर्ज सरस्वती पुत्री प्रभू के स्थान पर पर प्रार्थीया का शुद्ध नाम सुरती बाई पुत्री प्रभू दर्ज किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थीगण को उक्त भूमि विरासत से प्राप्त हुई।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीया की बहस सुनी। वकील प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीया का सही सुरती बाई पुत्री प्रभू है जिसे मुताबिक प्रार्थना पत्र के दुरूस्त किए जाने का कथन किया गया।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में वर्णित है कि "भूमि अभिलेख अधिकारी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें। कोई भी ऐसी

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

गलती तब तक शुद्ध नहीं की जायेगी। जब तक कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस नहीं किया गया हो, ऐसे प्रावधान दिए हुए है।"

वकील प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को एवं रिपोर्ट तहसीलदार, हिण्डोली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, पेंशन पी0पी0ओ, ग्राम पंचायत सथूर प्रमाण पत्र, परिवार राशन कार्ड, बैंक खाता डायरी पेश किए है जिसमें प्रार्थीया का सही नाम सुरती बाई पुत्री प्रभू है। प्रकरण में तहसीलदार हिण्डोली से प्राप्त रिपोर्ट में भी प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना उचित बताया है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने योग्य है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाकर भूमि वाके ग्राम फतेहगढ प0मं0 बिशनपुरा के खाता संख्या 45 वाकें ग्राम हरिपुरा पटवार मण्डल तालाबगांव में प्रार्थीया का नाम सरस्वती पुत्री प्रभू के स्थान पर सुरती बाई पुत्री प्रभू शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :–27.02.2026 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

27/02/2026

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446